A052-20232024-001-759
वित्तीय स्वीकृति
संख्या-8/759/52-3-2023-3099/1004/2020

प्रेषक,

गुलाब,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग 3 लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मासिक वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया.

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-142/अ0सं0क0नि0-26/लेखा/मद0बजट-प्रा0/2023-24, दिनांक 11.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय- 03-अरेबिया पाठशालाओं को अनुदान-31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)"' मद में प्रावधानित धनराशि **रू 0 101547.04 लाख (रू0 दस अरब पन्द्रह करोड सैंतालीस लाख चार हजार मात्र)** स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस- 2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 के प्रस्तर- 2(5) में निहित व्यवस्था के अनुसार सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मासिक वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट में प्रावधानित धनराशि **रू0 101547.04 लाख (रू0 दस अरब पन्द्रह करोड सैंतालीस लाख चार हजार मात्र)** निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को 31.03.2024 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो , उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि निदेशक/रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित मदरसों को अनुदान की धनराशि तभी निर्गत की जायेगी, जब वह मदरसे के संबंध में नियमो/शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समस्त मानकों की पूर्ति संबंधी प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति से संतुष्ट हो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि से किसी भी शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिकों के वेतन सम्बन्धी एरियर का भुगतान शासन की बिना अनुमति के नहीं किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय- 03-अरेबिया पाठशालाओं को अनुदान-31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस- 2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में निहित प्रावधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गुलाब)
संयुक्त सचिव।

संख्या-759(1)/52-3-23, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा राज्य मंत्री जी, अल्पसंयक कल्याण विभाग,उ0प्र0।
5. कोपाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/ नियोजन अनुभाग-3
8. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।